



कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)

क्रमांक/13 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रति,

सुकमा, दिनांक 01.01/2024

प्रभारी अधिकारी
(एन.आई.सी.)
जिला-सुकमा(छ.ग.)

विषय :-

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अंतर्गत जारी सूचना पत्र को जिले के राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड किए जाने हेतु।

--00--

विषयान्तर्गत लेख है कि केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में हितबद्ध व्यक्तियों को दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में सुनवाई किया जाएगा।

अतः इस पत्र के साथ प्रभावित कृषकों का सूचना पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया जारी सूचना पत्र को जिले के राजस्व विभाग की वेबसाइट में अपलोड किए जाने की कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

सूचना पत्र(10 कृषक)

Durgam
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)
सुकमा, दिनांक 01.01/2024

पृ.क्रमांक/13 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रतिलिपी:-

- 1- कलेक्टर(भू-अर्जन शाखा), जिला-सुकमा(छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ। एवं सूचना पटल में चरपा हेतु सूचना पत्र संलग्न कर सादर प्रेषित है।
- 2- तहसीलदार, तहसील-सुकमा को सूचनार्थ कर लेख है कि संलग्न सूचना पत्र को संबंधित कृषक को तामिल कराते हुए पावती इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। तथा सूचना पत्र की एक प्रति अपने कार्यालय के सूचना पटल में चरपा कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 3- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सुकमा को सूचनार्थ एवं संलग्न सूचना पत्र को कार्यालय के सूचना पटल में चरपा कर आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 4- सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत चिकपाल को सूचनार्थ कर लेख है कि संलग्न सूचना पत्र को कार्यालय ग्राम पंचायत के सूचना पटल में चरपा कर संबंधित कृषक को अवगत कराने की कार्यवाही की जावे।

Durgam
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा(छ.ग.)





**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300020/अ-82/2021-22

क्रमांक/ 14
प्रति,

/प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023

सुकमा, दिनांक 01/01/2024

श्यामसुंदर पिता बाबुराम
ग्राम-चिकपाल, प.ह.न. 17
तहसील-सुकमा (छ.ग.)

--00--

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	चिकपाल	799	0.116	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	श्यामसुंदर पिता बाबुराम, दीपा पति श्याम सुंदर	-	श्यामसुंदर पिता बाबुराम, दीपा पति श्याम सुंदर	केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-01.01.2024




 अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
 एवं भू-अर्जन अधिकारी
 सुकमा, जिला- सुकमा (छ.ग.)



**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

//प्रारूप XII//

**भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-**

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300020/अ-82/2021-22

क्रमांक/ 15 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रति,

सुकमा, दिनांक 01/01/2024

मड़कामी मासा पिता मुया
ग्राम-चिकपाल, प.ह.न. 17
तहसील-सुकमा (छ.ग.)

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हि. में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	चिकपाल	673	0.036	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	मड़कामी मासा पिता मुया, बुधरी पिता मासा, माड़ा पिता कला, पोदिये पति माड़ा, सोमा पति कला, मंगड़ी पति सोमा, गंगा पिता वीरा, हुरा पिता चिंगा, आयता पिता चिंगा, देवे बुधरी पति चिंगा, हिरमा पिता हड़मा, हिरमें पिता हिरमा, हुरा पिता आयता, गंगी पति गंगा	-	मड़कामी मासा पिता मुया, बुधरी पिता मासा, माड़ा पिता कला, पोदिये पति माड़ा, सोमा पति कला, मंगड़ी पति सोमा, गंगा पिता वीरा, हुरा पिता चिंगा, आयता पिता चिंगा, देवे बुधरी पति चिंगा, हिरमा पिता हड़मा, हिरमें पिता हिरमा, हुरा पिता आयता, गंगी पति गंगा	केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-01.01.2024



Dugam
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा (छ.ग.)



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300020/अ-82/2021-22

क्रमांक/ 16 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रति,

सुकमा, दिनांक 01.01.2024

मइकामी हिरमा पिता बीर
ग्राम-चिकपाल, प.ह.न. 17
तहसील-सुकमा (छ.ग.)

--00--

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वतंत्रों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	चिकपाल	666, 671	0.029, 0.064	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	मइकामी हिरमा पिता बीर, मासा पिता मुया, बुधरी पति मासा, माड़ा पिता कला, पोदिये पति माड़ा, सोमा पिता कला, मंगड़ी पति सोमा, चिंगा पिता हड़मा, मुये पति चिंगा, सोमा चिन्ना पिता जोगा	-	मइकामी हिरमा पिता बीर, मासा पिता मुया, बुधरी पति मासा, माड़ा पिता कला, पोदिये पति माड़ा, सोमा पिता कला, मंगड़ी पति सोमा, चिंगा पिता हड़मा, मुये पति चिंगा, सोमा चिन्ना पिता जोगा	केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-01.01.2024



(Signature)
अनुविभागीय (अधिकारी) (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा (छ.ग.)



**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300020/अ-82/2021-22

क्रमांक/ 17
प्रति,

/प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023

सुकमा, दिनांक 01.01.2024

मइकामी हुंगी पति गंगा
ग्राम-चिकपाल, प.ह.न. 17
तहसील-सुकमा (छ.ग.)

---00---

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वतंत्रों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	चिकपाल	668	0.220	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	मइकामी हुंगी पति गंगा	-	मइकामी हुंगी पति गंगा	केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण	



जारी दिनांक-01.01.2024

Dugan
अनुविभागीय (अधिकारी) (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा (छ.ग.)



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300020/अ-82/2021-22

क्रमांक/ 18 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रति,

सुकमा, दिनांक 01.01.2024

रूपा पिता धुपसिंह
ग्राम-चिकपाल, प.ह.न. 17
तहसील-सुकमा (छ.ग.)

--00--

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	चिकपाल	771	0.012	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	रूपा पिता धुपसिंह, राजू, जोगिया, बुदु पिता सकरु, तंतीबाई पति जोगिया, रमली पति बुदु, लच्छा, सुनील पिता रूपा	-	रूपा पिता धुपसिंह, राजू, जोगिया, बुदु पिता सकरु, तंतीबाई पति जोगिया, रमली पति बुदु, लच्छा, सुनील पिता रूपा	केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-01.01.2024



Dingam
अनुविभागीय (अधिकारी) (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा (छ.ग.)



**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा०) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300020/अ-82/2021-22

क्रमांक/ 19
प्रति,

/प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023

सुकमा, दिनांक 01.01.2024

ओकलिया पिता भैरो
ग्राम-चिकपाल, प.ह.न. 17
तहसील-सुकमा (छ.ग.)

--00--

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	चिकपाल	772	0.083	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	ओकलिया पिता भैरो	-	ओकलिया पिता भैरो	केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-01.01.2024



Dingam
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा (छ.ग.)



न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300020/अ-82/2021-22

क्रमांक/ 20 प्रति, प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023

सुकमा, दिनांक 01.01/2024

मड़कामी गंगी पति गंगा
ग्राम-चिकपाल, प.ह.न. 17
तहसील-सुकमा (छ.ग.)

--00--

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वतंत्रों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हि. में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	चिकपाल	669,801	0.065, 0.028	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	मड़कामी गंगी पति गंगा, आयते पिता गंगा, हिरमे पिता गंगा, देशो पिता गंगा, सपना पिता गंगा, शांति पिता गंगा मुये पिता गंगा	-	मड़कामी गंगी पति गंगा, आयते पिता गंगा, हिरमे पिता गंगा, देशो पिता गंगा, सपना पिता गंगा, शांति पिता गंगा मुये पिता गंगा	केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-01.01.2024



(Signature)
अनुविभागीय (अधिकारी) (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा (छ.ग.)



**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300020/अ-82/2021-22

क्रमांक/ २१ /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रति,

सुकमा, दिनांक ०१.०१.२०२४

मड़कामी सिंगा पिता दुला
ग्राम-चिकपाल, प.ह.न. 17
तहसील-सुकमा (छ.ग.)

--00--

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	चिकपाल	792	0.039	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	मड़कामी सिंगा पिता दुला	-	मड़कामी सिंगा पिता दुला	केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-01.01.2024



Dugan
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा (छ.ग.)



**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300020/अ-82/2021-22

क्रमांक/ 22 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रति,

सुकमा, दिनांक 01.01.2024

कड़ती जोगा पिता देवा
ग्राम-चिकपाल, प.ह.न. 17
तहसील-सुकमा (छ.ग.)

--00--

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	चिकपाल	796/2	0.061	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	कड़ती जोगा पिता देवा	-	कड़ती जोगा पिता देवा	केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-01.01.2024



Bugan
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा (छ.ग.)



**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला-सुकमा (छ.ग.)**

//प्रारूप XII//

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार
अधिनियम, 2013 की धारा 21 के अन्तर्गत सूचना:-

राजस्व प्रकरण क्रमांक-202201190300020/अ-82/2021-22

क्रमांक/ 23 /प्र-2/अ.वि.अ.(रा.)/2023
प्रति,

सुकमा, दिनांक 01.01.2024

कड़ती देवा, हिरमा पिता कोना
ग्राम-चिकपाल, प.ह.न. 17
तहसील-सुकमा (छ.ग.)

--00--

आपको सूचित किया जाता है कि आपके निम्न दर्शायी गई भूमि, जिसका वर्णन नीचे के अनुसूची में दिया गया है, को स्वीकृत कार्य, केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु, ग्राम चिकपाल के प्रभावित भूमि का भू-अर्जन के लिए अर्जित की जा रही है। उक्त भू-अर्जन कार्य में स्वत्वों तथा मुआवजा व पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो विस्तृत जानकारी एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दिनांक 01.02.2024 को प्रातः 11:00 बजे इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें।

सूचना उपरान्त अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई करते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

अनुसूची "अ"

(अर्जित की जाने वाली भूमि का विवरण)

जिला का नाम	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित भूमि का खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे.में)	भूमि का प्लॉट नंबर
1	2	3	4	5	6
सुकमा	सुकमा	चिकपाल	797/2	0.027	-
मोहल्ले इत्यादि का नाम	भूमि के कब्जेधारी का नाम	दर्ज शुदा भूमि का नाम	भूमिस्वामी का नाम	कार्य जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है	
7	8	9	10	11	
-	कड़ती देवा, हिरमा पिता कोना, देवे पति देवा, मासे पति हिरमा	-	कड़ती देवा, हिरमा पिता कोना, देवे पति देवा, मासे पति हिरमा	केरलापाल से बटनवाड़ा मार्ग के कि.मी. 2/2 शबरी नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण	

जारी दिनांक-01.01.2024



Dingam
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी
सुकमा, जिला- सुकमा (छ.ग.)